न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 768

दिनांक 21/05/2025

अनवान :—

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
ईसराराम	बनाम	गिरधारीराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. **60/2025** दिनांक : **21.05.2025**

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा आलमसर के खेत खसरा सं. 391, 397, 398 रकबा क्रमशः 01.6916, 00.0809, 00.8094 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थिगण के हितो पर कुठाराघात न हो, प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/ 769 to 772

दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी ईसराराम
3. विप्रार्थीगण गिरधारीराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धोरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.06 08:48:47 IST
Reason: SelfAttested